न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास–डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या –11/2020

जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2020/00106

प्रार्थी — बनाम — **अप्रार्थीगण**

हनुमान खोले जीवण जाति जाट,
निवासी गौगौर तहसील नावां,
जिला नागौर राज.

बनाम

1. तहसीलदार नावां
2. निरीक्षक भू.अ. मारोठ
3. भागुराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी गौगौर तहसील नावां
4. ब्रह्मलाल जाट, उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. **प्रार्थी की ओर से वकील श्री अशोक वैष्णव।**
2. **अप्रार्थी संख्या–1, 2 व 4 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां।**
3. **अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से वकील श्री श्याम कुमार व्यास एंव श्री ओमप्रकाश गौड़।**

आदेश — **दिनांक–** 01/04/2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां में लम्बित प्रकरण संख्या– 21/1998 बअनवान हनुमान बनाम तहसीलदार नावां अधीन धारा 125, 136 राज. भू राजस्व अधिनियम को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने हेतु दिनांक 13.02.2020 को प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी तहसीलदार व निरीक्षक भू.अ. मारोठ के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अधीन धारा 125 व 136 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जासुद आराजी खसरा नम्बर 613/418 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 612/419 रकबा 0.20 हैक्टरयर व खसरा नम्बर 634/163 की पुनः पेमाईश करा कर प्रार्थी के खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी के दक्षिण में मौके पर स्थित गैर मुमकिन नाला में सही दर्ज करा कर राजस्व नक्शा व रेकर्ड दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करावे व प्रार्थी के कब्जा काश्त में खड़ी फसल के कुर्की आदेश क्रमांक राजस्व 98/1376 दिनांक 27.02.98 को निरस्त करने का आदेश पारित करावे।

उक्त आवेदन में अप्रार्थी संख्या 3 भागुराम जाट ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का आवेदन पेश कर अप्रार्थी पक्षकार दर्ज करने का कथन किया जिस आवदेन को स्वीकार कर दिनांक 5.9.2001 को पक्षकार बनाये जाने के आवेदन स्वीकार होने पर उसे अप्रार्थी संख्या 3 पक्षकार दर्ज किया गया। चूंकि उक्त अप्रार्थी संख्या 3 किसी भी रूप में आवश्यक पक्षकार नहीं है फिर भी प्रार्थी के आवेदन में अनावश्यक विलम्ब करने व प्रार्थी को नाजायज तंग परेशान क[illegible] बिना किसी आधार के पक्षकार बन गया व अब अधिनस्थ न्यायालय के पीठासी[illegible] अपना रिश्तेदार व खास मिलने वाला होना बताकर प्रार्थी का उक्त आवेदन खारिज करवाने पर आमादा है तथा आये दिन पीठासीन अधिकारी के निवास स्थान व चेम्बर में आता जाता है व घण्टो बैठ कर इस प्रकरण के संबंध में [illegible]र से बाते करते हुए व आवेदन जल्द ही खारिज करने की बात प्रार्थी ने सुनी है तथा उक्त अप्रार्थी भी खुले आम प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:35:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

यह धमकियां दे रहा है कि वह आवश्यक पक्षकार न होते हुए भी पक्षकार तो बन गया है अब ब्रह्मकुमार से प्रार्थी का आवेदन खारिज करवा कर रहुंगा। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी भी उक्त अप्रार्थी संख्या 3 के अनुचित दबाव व प्रभाव में आकर नजदीक पेशीयां देकर आवेदन खारिज करने पर आमादा है अंतिम आदेशिकाओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी येन केन प्रकारेण प्रकरण को रफा दफा करना चाहते है तथा पीठासीन अधिकारी के व्यवहार व रवैये से भी ऐसा स्पष्ट प्रकट हो रहा है कि पूर्णतया अप्रार्थीगण का पक्ष ले रहे है व आवेदन खारिज करने पर आमादा है जबकि प्रार्थी का धारा 125 व 136 राज. भू राजवस्व अधिनियम का आवेदन ठोस आधारो पर विधि सम्मत पेश हो रखा है इसके बावजूद आवेदन खारिज कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, अनावश्यक विवाद बढ़ेगी व प्रार्थी के साथ अन्याय होगा एसी स्थिति में प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से इस प्रकरण में न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं रही है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि पक्षकारो के मध्य न्याय होने के साथ साथ न्याय होते दिखना भी आवश्यक है किसी भी पक्षकार के समक्ष पीठासीन अधिकारी के व्यवहार, रवैये व कृत्य से कोई शंका या प्रबल संभावना उसके हितो के विरूद्व कार्यवाही की उत्पन्न होने पर उसके द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष सम्पूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने पर समक्ष अधिकिारी को न्याय हेतु पत्रावली संबंधित सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करना आवश्यक व न्याय संगत है।

अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को किसी भी सुरत में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही है खुले आम अप्रार्थीगण का पक्ष ले रहे है व अप्रार्थी संख्या 3 जाति बिरादरी का होने व अपने आप को रिश्तेदार बताकर प्रकरण में अनावश्यक व विधि विरूद्व आदेश करवा कर प्रार्थी को क्षति पहुंचाने पर आमादा है ऐसी सुरत में पत्रावली मुन्तकिल की जाना न्याय संगत होने का कथन करते हुए उपरोक्त तथ्यो परिस्थितियो व विधिक प्रावधानो के मध्य नजर उक्त पत्रावली सुनवाई व निर्णय हेतु उपखण्ड अधिकारी नावां से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

वकील श्री श्यामकुमार व्यास ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा धारा 125 व 136 एल.आर.एक्ट में प्रकरण पेश किया गया है। अप्रार्थी भागुराम की पीठासीन अधिकारी श्री ब्रह्मलाल जाट से दूर दूर की रिश्तेदारी नहीं है एवं न ही अप्रार्थी संख्या 3 ने कभी पीठासीन अधिकारी का घर देखा है। प्रार्थी द्वारा यह आवेदन केवल मात्र एस.डी.ओ. नांवा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को लम्बित करने की गरज मात्र से पेश किया है। प्रार्थी येनकेन तरीके से उक्त प्रकरण में निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा धारा 125 व 136 एल.आर. एक्ट के तहत वर्ष 1998 में वाद पेश किया तब से ही इस प्रकरण में स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है एवं पिछले 22 वर्षों से प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश की आड़ में उक्त प्रकरण को लम्बा किया जा रहा है। यहां तक कि पिछले 22 वर्षों में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तामिल तक नहीं करवाई। वर्तमान में भी उक्त प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तामिल हेतु विचाराधीन है, न कि अंतिम बहस हेतु। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण को येनकेन तरीके से लम्बा किया जा रहा है। प्रार्थी ने सरकारी व अन्य भूमि मिलाकर करीब 10 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है एवं स्थगन आदेश की आड़ में उक्त अतिक्रमण अभी तक हटाया नहीं जा रहा है। इस कारण प्रार्थी केवल अपना अतिमकमण कायम रखने की गरज से प्रकरण को लम्बा करने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील प्रार्थी की बहस का [illegible] करते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी तहसीलदार व भू–अभिलेख निरीक्षक के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 125, 136 के तहत अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो विचाराधीन है।

इस प्रार्थना पत्र में दिनांक [illegible] अप्रार्थी संख्या–3 को आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार मुकदमा बनाया गया था। प्रार्थी की कथन की अप्रार्थी संख्या–3 प्रकरण आवश्यक पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:35:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

नहीं है फिर भी प्रार्थी के आवेदन में अनावश्यक विलम्ब करने व प्रार्थी को नाजायज तंग परेशान करने के लिए बिना किसी आधार पर पक्षकार बन गया। उक्त संबंध में यह है कि उक्त प्रकरण पूर्व में तत्कालीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर में विचाराधीन था। जिसमें दिनांक 05.09.2001 को ही अप्रार्थी संख्या 3 को पक्षकार मुकदमा बनाया जा चुका है। तत्पश्चात पत्रावली उपखण्ड न्यायालय नवसर्जित होने पर पत्रावली स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई है। पत्रावली स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने के बाद अभी तक प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण 1 व 2 की तलबी तक पूर्ण नहीं करवाई गई है न ही नोटिस प्रस्तुत किये जा रहे है। अप्रार्थी संख्या–3 का जबाब पत्रावली में 2002 से ही शामिल मिसल है। जिससे प्रार्थी का यह कथन सरासर झूठा है कि प्रकरण को लम्बा करने की नियत से अप्रार्थी 3 को पक्षकार बनाया गया है, अप्रार्थी संख्या–3 दिनांक 05.09.2001 से ही इस प्रकरण में पक्षकार मुकदमा है तथा जबाब पेश कर चुका है। दोनों ही पक्षों के अधिवक्ता नियुक्त है जिनकी उपस्थिति में ही न्यायिक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 3 व प्रार्थी, अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की जानकारी में नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय में सभी प्रकरणों में अधिवक्ता व पक्षकारान उपस्थित होते है, प्रकरणों में कार्यवाही अधिवक्ताओं की उपस्थिति में की जाती है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से जान पहचान, धमकी संबंधी तथ्य निराधार अंकित किये है। उक्त प्रकरण 23.07.1998 से लगभग 21 वर्षों से विचाराधीन है।

उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 दानों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है। प्रकरण राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती का है, जिसमें अप्रार्थी 2 व 3 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि एवं भूमिधारी है, जिनको सुना जाना आवश्यक है, लेकिन प्रार्थी स्वंय जानबूझकर अप्रार्थी 1 व 2 की तामील करवाने से बच रहा है, बार–बार समय दिये जाने के बावजूद तलबी पेश नहीं कर रहा है। प्रार्थी स्वंय ही प्रकरण को जानबूझ कर लम्बा करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–4 में किये गये सम्पूर्ण कथन गलत मनगढ़त है। उक्त प्रकरण 10 वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन होने के कारण दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में प्रकरण में तारीख पेशी नियत की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है, का कथन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी नांवा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–21/1998 हनुमान बनाम तहसीलदार नावां अधीन धारा 125, 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने का निवेदन किया है। प्रकरण में जहां तक अप्रार्थी संख्या–3 को अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने को लेकर कथन है, तो उक्त संबंध में प्रार्थी स्वंय के कथन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या–3 को अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 05.09.2001 के द्वारा पक्षकार बनाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या–3 को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का आदेश तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है। प्रार्थी यदि उक्त आदेश से असन्तुष्ठ रहा तो उसे तत्समय उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए थी। अब प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या–3 अनावश्यक पक्षकार होने का कथन करना युक्तियुक्त नहीं है।

अप्रार्थी संख्या–3 अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अपना रिश्तेदार व मिलने वाला है तथा आये दिन पीठासीन अधिकारी के निवास व चेम्बर में आता जाता है व घण्टो बैठ कर इस प्रकरण के संबंध में जोर जोर से बाते करते हुऐ व आवेदन जल्द ही खारिज करने की बात प्रार्थी ने सुनी है उक्त अप्रार्थी भी प्रार्थी को धमकिया दे [illegible] जी से तेरा आवेदन खारिज करवा कर रहूँगा। पीठासीन अधिकारी भी उक्त अप्रार्थी सं[illegible]3 [illegible] अनुचित दबाव व प्रभाव में आकर नजदीक पेशीयां देकर, अप्रार्थीगण का पक्ष लेकर, यनकेन प्रकारेण [illegible] का आवेदन खारिज करने पर आमादा होने एवं उनसे न्याय नहीं मिलने की [illegible] प्रार्थी का कथन है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या–3 व अ[illegible]स्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:35:22 IST
Reason: SelfAttested

लगाये गये उक्त आरोपों के संबंध में कोई ठोस एवं प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। उक्त संबंध में अप्रार्थी संख्या–3 के अधिवक्ता श्री श्यामकुमार व्यास द्वारा भी कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या–3 की अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से दूर दूर तक की रिश्तेदारी नहीं है और न ही अप्रार्थी संख्या–3 ने कभी पीठासीन अधिकारी का घर देखा है। प्रार्थी द्वारा उस लगाये गये आरोपों को मनगढ़त, झूठे व बनावटी है। प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 125, 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण 1998 में वाद पेश किया था तब से ही इस प्रकरण में स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है एवं पिछले 22 वर्षों से प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश की आड़ में उक्त प्रकरण को लम्बा किया जा रहा है। यहां तक की पिछले 22 वर्षों में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तामील तक नहीं करवाई। वर्तमान में भी उक्त प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तामील हेतु विचाराधीन है, न कि अंतिम बहस हेतु। प्रार्थी ने सरकार व अन्य भूमि मिलाकर करीब 10 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है एवं स्थगन आदेश की आड़ में उक्त अतिक्रमण अभी तक हटाया नहीं जा रहा है। प्रार्थी केवल अपना अतिक्रमण कायम रखने की गरज से प्रकरण को लम्बित रखना चाहता है। राजपरौकार ने भी दौराने बहस प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों को गलत एवं मनगढ़त होना बताया है। प्रकरण में बार–बार समय दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तलबी पेश नहीं कर रहा है। प्रार्थी जानबूझ कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को लम्बा करना चाहता है। जबकि प्रकरण 10 वर्ष पुराना है। इस प्रकार प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–3 व राजपैरोकार द्वारा दिये गये कथनों के अनुसार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं.3 व अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप निराधार प्रतीत होते है। उक्तानुसार तथ्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण को जानबूझ कर लम्बित रखना चाहता है एवं इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है एवं बिना किसी ठोस कारण के अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र किसी न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:35:22 IST
Reason: SelfAttested